फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पिता श्री नारायण लाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला, केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 54/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.09.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ. 1( ) सू0अ0,05/प्र. अपील/2023/648–649 दिनांक 04.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 13.07.2023 को प्राप्त हुआ। तथा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के सामान्य अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को जरिये पत्रांक 531 दिनांक 13.07.2023 से पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 987 दिनांक 15.07.2023 से बिन्दु संख्या 01 से 06 तक की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार कार्यालय हाजां को उपलब्ध करवायी गयी है यह है कि ऑनलाईन पोर्टल क्रमांक 5989111706 दिनांक 03.08.2023 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा करवाने हेतु ऑनलाईन पत्र प्रेषित किया गया जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शुल्क राशि 14 पृष्ठ x 02 रूपये प्रति पृष्ठ = 28 रूपये राजकोष मे जमा करवायी गयी। इस कार्यालय के ऑनलाईन पोर्टल क्रमांक 5203252907 दिनांक 04.08.2023 से ऑनलाईन पोर्टल पर प्रार्थी को प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के द्वारा प्रेषित सूचना की हस्ताक्षरित व अधिप्रमाणित प्रति अपलोड कर प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये ऑनलाईन प्रेषित कर, सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं	

न्यायालय जिला कलक्टर

	अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना अपलोड कर वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)